प्रेस नोट- थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 15.11.2026

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.11.2026 को वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0सं0 667/26 धारा 87 बीएनएस बावत अभियुक्त अफजल पुत्र सल्ले नि0 ग्राम बडागाँव थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा वादिनी की पुत्री (उम्र 20 वर्ष) को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही मुकदमा उपरोक्त में धारा 319(2)/64(2)/352 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अफजल पुत्र सल्ले, उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बडागाँव, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.11.2026 को समय 13:05 बजे बडागाँव बिजलीघर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

- अफजल पुत्र सल्ले, उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बडागाँव, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- मु0अ0सं0 667/26 धारा 87/319(2)/64(2)/352 बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान का विवरण-

- दिनांक 15.11.2026 को समय 13.05 बजे, बडागाँव बिजलीघर के पास से

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 जरनैल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 विष्णु कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर